न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 71/2018

अपीलांट

हरजीराम पुत्र सगराम जाति बावरी निवासी वडेरवास तहसील पाली जिला पाली (राज)

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

उपस्थित :–

1. श्री नरपतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 22.07.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 13/2017 बउनवान सरकार बनाम हरजीराम में पारित आदेश दिनांक 23.06.2018 अपास्त कराने का निवेदन किया। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया, साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम वडेरवास पटवार मंडल खैरवा चक द्वितीय स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1666 कुल रकबा 28.11 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की खातेदारी व कब्जा काश्तशुदा आराजी है। राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि का अकृषि संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 6 अनुसार प्रत्येक खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में 2500 वर्ग मीटर भूमि पर बिना संपरिवर्तन करवाए बिना किसी प्रकार की अनुमति लिए स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज एवं कजावा बना सकता है। इस हेतु किसी प्रकार की कोई विधिक रोक नहीं है। एवं इस संबध में धारा 177 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अपीलांट ने निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक भूमि पर ईटो का निर्माण नहीं किया है। अपीलांट मिट्टी से ईटे बनाकर कजावा करके

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विक्रय करने का व्यवसाय नहीं करते है बल्कि अपनी स्वयं के अपयोग अर्थात कृषि भूमि पर स्वंय के निवास हेतु आवास बनाने भंडारण हेतु गोदाम बनाने के निजी उपयोग के लिये ही ईटे बना रहे थे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय, बिना भौतिक रूप से मौका निरीक्षण किये, बिना नाप चौक किये तैयार की गई, एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया, साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम वडेरवास पटवार मंडल खैरवा चक द्वितीय स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1666 कुल रकबा 28.11 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया व दिनांक 19.09.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात अपीलांट को लोक अदालत कैम्प के नोटिस जारी किया गया, जो कि अपीलांट हरजीराम स्वंय से तामिल प्राप्त हुआ। उसके पश्चात अपीलांट या उनके अधिवक्ता कैम्प कोर्ट में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट ने खसरा नंबर 1666 की भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि की मिट्टी की खुदाई कर कच्ची ईटो निर्माण हेतु भट्टा मालिको को बेचान करने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया, साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम वडेरवास पटवार मंडल खैरवा चक द्वितीय स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1666 कुल रकबा 28.11 बीघा के संबध में प्रस्तुत कर अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई नि ोधाज्ञा का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया। वादग्रस्त आराजी के संबध में मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 212 आर.टी.ए के प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया व दिनांक 19.09.2017 को जवाब प्रस्तुत किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गया। इसके पश्चात अपीलांट को लोक अदालत कैम्प के नोटिस जारी किया गया, जो कि अपीलांट हरजीराम स्वंय से तामिल प्राप्त हुआ। उसके पश्चात अपीलांट या उनके अधिवक्ता कैम्प कोर्ट में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 27.02.2017 में यह स्पष्ट अंकन है कि "मौके पर खसरा नंबर 1666 में मिट्टी खुदाई कर कच्ची ईटे बनाने का करना पाया गया है। प्रार्थी खातेदार द्वारा पूर्व लगभग 19.01 बीघा भूमि उगम ईट भट्टा मालिक मंगलाराम को मिट्टी खुदाई कर कच्ची ईटो के निर्माण हेतु मिट्टी बेचना पाया गया तथा शेष रही भूमि में मिट्टी खुदाई कर कच्ची ईटो के निर्माण का कार्य चालू पाया गया। खसरा नंबर 1666 की भूमि के मूल भौतिक स्वरूप को नष्ट कर कृषि भूमि को क्षति पहुंचाई गई जिससे कृषि उर्वरता एवं उत्पादकता समाप्त हो गई। इस प्रकार खसरा नंबर 1666 की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग में लेने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का उल्लघंन है" जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर बिना संपरिवर्तन कराये गैर अकृषि कार्य कर रहा हैं जो कि धारा 177 का उल्लघंन है। इसके अतिरिक्त उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलांट हरजीराम स्वंय का अंगूठा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया हैं जिसमे हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा सहायक कलक्टर पाली द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 13/2017 बउनवान सरकार बनाम हरजीराम में पारित आदेश दिनांक 23.06.2018 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली